मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

''कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई	(१)	डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी. ए.
	(२)	डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन	डी. जी. एम.
	(३)	डिल्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन	डी. पी. एम.
	(४)	डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी	डी. जी. एस.
	(५)	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी.	डी. एम. आर. ई.
	(६)	डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन	डी. ई. एम. ई.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की कमी है. विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये, राज्य सरकार ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई के साथ एक करार निष्पादित किया है, जिससे कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन में उनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें. अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २७ नवम्बर, २०१९.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७

(क्रमांक ११ सन् १९९०) से उद्धरण.

धारा १ से ३१ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची
[धारा २ (घ) देखिये]

आयुर्विज्ञान संस्था जिसके द्वारा प्रदान की गई है (१)	मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं (२)	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षेपाक्षर (३)
राबर्टसन मेडिकल स्कूल, नागपुर	रूरल मेडिकल प्रेक्टिशनर डिप्लोमा इन मेडिकल प्रेक्टिस	आर. एम. पी. डी. एम. पी.
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी	एम. बी. बी. एस.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.